न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ता आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 038/2021

1 कृष्ण पुत्र श्री बन्ना राम जाति बावरी निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2 नन्दराम पुत्र श्री बन्ना राम जाति बावरी निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3 रामजीलाल पुत्र श्री बन्ना राम जाति बावरी निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4 सुखराम पुत्र श्री बन्ना राम जाति बावरी निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5 सहीराम पुत्र श्री बन्ना राम जाति बावरी निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

6 सावित्री पुत्री श्री बन्ना राम जाति बावरी निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रार्थीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगणः–

श्री महेश कुमार शर्मा अधिवक्ता – –प्रार्थीगण
श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता – –अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:34:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :– 13.05.2024

प्रार्थीगण कृष्ण आदि ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 251ए आर.टी. ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 151/137 में 1.518 हैक्टर नहरी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी संलग्न प्रार्थना–पत्र हैं, जो प्रार्थनापत्र का आधार है।

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 128/166 में 0.379 हैक्टर नहरी गय गैर मुमकिन खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने, कृषि उपकरण लाने–लेजाने व कृषि की उपज लाने–लेजाने हेतु वर्तमान में कोई मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थी की कृषि भूमि को जोडने हेतु सबसे सरल, सुगम व निकटतम मार्ग अप्रार्थी की कृषि भूमि में से चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी पत्थर नम्बर 208/232(16) किला नम्बर 24 की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की और पडता है। प्रार्थी उक्त भूमि में से 1 गट्ठा (0.013 हैक्टर) रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थी की कृषि भूमि में आने–जाने हेतु मात्र यही रास्ता सुगम व सरल है, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौका पर मौजूद नही है। प्रार्थी उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थी को उनकी कृषि भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. रेट के मुताबिक रास्ता की भूमि की कीमत अदा करने को तैयार हैं।

प्रार्थी की कृषि भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध न होने के कारण प्रार्थी को कृषि भूमि में काश्त करनें में भारी परेशानी हो रही है। अब अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि रास्ता हेतु प्रदान नही की गई तो प्रार्थी को अत्यधिक मानसिक वेदना व अपूर्णीय क्षति होगी एवं एवं प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने–जाने, कृषि यंत्र लाने–लेजाने एवं कृषि भूमि की फसल को लाने–लेजाने में भारी असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत किया जाना व इसकी प्रविष्टी राजस्व अभिलेख में किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि तहसील टिब्बी के अधीनस्थ कि चक [illegible] एफ.टी.पी.–बी पत्थर नम्बर 208/232(16) किला नम्बर [illegible] की 0.013 हैक्टर रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया

Scanned with CamScanner

गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार राजस्व से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी खाता संख्या 151/137 में 1.518 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 128/166 में 0.379 हैक्टर भूमि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 के यह तथ्य कि प्रार्थी की कृषि भूमि को सबसे निकटतम रास्ता पत्थर नम्बर 207/232(16) में गैर मुमकिन रास्ता से होते हुए पत्थर नम्बर 208/232 किला नम्बर 11 व 20 मे से रास्ता स्वीकृत करवा सकता है, चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी के पत्थर नम्बर 207/232(16) किला नम्बर 24 व 24 की पत्थर लाईन पर धोरी खाला बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा किला नम्बर 24 में से रास्ता चाहा जा रहा है जो कतई सम्भव नही है व धोरी खाला होने की स्थिति में किला नम्बर 24 में रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता। नजरी नक्शा मय जमाबन्दी संलग्न जबाब प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नहीं । प्रार्थी को सबसे नजदीक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो कि पत्थर नम्बर 208/232 के किला नम्बर 11 व 20 में से रास्ता स्वीकृत करवाया जा सकरता है प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी नही है। अप्रार्थी की मात्र 0.379 हैक्टर आराजी है व किला नम्बर 24 में जहाँ से रास्ता चाहा जा रहा है वहाँ पुराना कमरा भी बना हुआ है। अप्रार्थी की आराजी में से रास्ता स्वीकृत होने से अपूर्णीय क्षति होगी।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 के तथ्य भी कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही। प्रार्थी को पत्थर नम्बर 208/232 किला नम्बर 11 व 20 में से सुगम रास्ता उपलब्ध है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। तहसीलदार राजस्व, टिब्बी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि को जोडने हेतु सबसे सरल, सुगम [illegible] मार्ग अप्रार्थी की कृषि भूमि में से चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी [illegible] किला नम्बर 24 की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की और पडता है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि को सबसे निकटतम रास्ता पत्थर नम्बर 207/232(16) में गैर मुमकिन रास्ता से होते हुए पत्थर नम्बर 208/232 किला नम्बर 11 व 20 मे से रास्ता स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:34:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करवा सकता है, चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी के पत्थर नम्बर 207/232(16) किला नम्बर 24 व 24 की पत्थर लाईन पर धोरी खाला बना हुआ है धोरी खाला होने की स्थिति में किला नम्बर 24 में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है साथ ही किला नम्बर 24 में एक पुराना कमरा भी बना हुआ है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का जबाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टस का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम दूरी का रास्ता है रास्ता की आत्यातिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना–पत्र के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लालचन्द की कृषि भूमि चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी पत्थर नम्बर 208/232(16) किला नम्बर 24 की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की 0.013 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करने के आदेश दिये जाते है। रास्ते में आई भूमि के बदले प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी खाता संख्या 151/137 पत्थर नम्बर 208/232(16) किला नम्बर 17 में से रास्ते की भूमि छोड़कर उतनी ही भमि अप्रार्थी लालचन्द के नाम से अंकन किया जाकर चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी खाता संख्या 151/137 में से प्रार्थीगण का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:34:17 IST
Reason: SelfAttested

(... गुप्ता)
... अधिकारी एवन्
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी